न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 09/2026

स्टेट जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

कृष्णा पुत्र ओंकार मल महाराजा मिष्ठान्न भण्डार, सूरतगढ़ रोड़, कैंचिया, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः—1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।

2 अप्रार्थी अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—06.05.2026

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी कार्यालय, हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.03.2026 को जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ हनुमानगढ़ द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक उपयोग/कालाबाजारी की जांच बाबत् महाराजा मिष्ठान्न भण्डार, सूरतगढ़ रोड़, कैंचिया, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ पर पहुंच कर जांच की गई। मौके पर उपस्थित श्री कृष्णा पुत्र ओंकार मल जाति ब्राह्मन निवासी वार्ड नं. 02 गोलूवाला, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ने स्वयं को उक्त दुकान का कार्यकर्ता बताया तथा मौके पर उपस्थित रहकर जांच करवायी। जांच के दौरान एक घरेलू गैस सिलेण्डर बर्नर से जुडा पाया गया। उक्त प्रतिष्ठान में मिठाई व नमकीन बनाने व बेचने का व्यावसायिक कार्य किया जाता है तथा विक्रय की गई सामग्री का मूल्य वसूल किया जाता है। इस प्रकार घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग तथा अवैध रखना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया तथा उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर श्री पंकज गुप्ता पुत्र श्री रमेश गुप्ता जाति अग्रवाल, साझेदार, गिल गैंस एजेंसी, गोलूवाला की सुपुर्दगी में दिए गए। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश फरमावे तथा विस्फोटक सामग्री होने के कारण अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमाने का श्रम करावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया।

अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 06.04.2026 को नोटिस जारी किया गया है। रजिस्टर्ड नोटिस की ट्रेक रिपोर्ट दिनांक 30.04.2026 अनुसार अप्रार्थी के निवास पर दिनांक 09.04.2026 को नोटिस डिलीवर्ड होने के बावजूद भी अप्रार्थी

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

दिनांक 30.04.2026 तक उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

राजकीय अभिभाषक ने एकपक्षीय बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा मौके पर पाये गये 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त किया गया है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 3(1)(ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया किः–

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्ती के समय मौके पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है।
2. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 3(1)(ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा इण्डेन कम्पनी के 1 घरेलू गैस सिलेण्डर (गैस की मात्रा 8.8 किग्रा), को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ